सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 204/2007

1. मुरारी लाल
2. इन्द्रराज
3. छोटूलाल
4. अमृत लाल

पुत्रान उदालाल जाति मीणा निवासी बालून्दा तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

1. प्रहलाद पुत्र श्री सुखलाल
2. सोभाग पुत्र
3. रामावतार पुत्र
4. रामलखन
5. नट्टी बाई पत्नि

(क्रम 2 से 5) श्री प्रहलाद

(क्रम 1 से 10) जाति मीणा निवासीगण बालून्दा तहसील मांगरोल जिला बारां

6. मूलचंद पुत्र श्री सुखलाल
7. प्रेमशंकर पुत्र श्री मूलचंद
8. धन्नालाल पुत्र श्री सुखलाल
9. हंसराज पुत्र श्री धन्नालाल
10. मुकेश पुत्र श्री धन्नालाल
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण : श्री विरेन्द्र सिंह
दायरा दिनांकः 18.07.2007 निर्णय दिनांक : 07.09.2018

मृतक वादी उदालाल ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी ए सम्वत 2061–2064 ग्राम बालून्दा में खसरा नं0 60 रकबा 0.11 है0 आराजी व जमाबंदी 13 सम्वत 2061–64 में आराजी खसरा नं0 59/431 रकबा 0.37 है0 आराजी वादी के खाते में दर्ज है, जिसका वादी एक मात्र तन्हा कब्जा धारी काश्त कार है।

प्रतिवादीगण उपरोक्त वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा करना चाहता है। जिनको जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण वादी की आराजी में बलपूर्वक प्रवेश ना करें।

उक्त आशय का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 10 की ओर से जर्ये वकील जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश कर बयान किया है कि आराजी खसरा नं0 60 रकबा 0.11 है0 पर वादी का कब्जा ना होकर प्रतिवादी क्रम 1 का कब्जा लगभग 40–45 वर्षों से लगातार चला आ रहा है ये आराजी प्रतिवादी कम 1 के खाते की आराजी खसरा नं0 59 के पास स्थित है तथा आराजी से मिली हुई है, प्रतिवादी क्रम 1 ने आवंटन के विरूद्ध अपील भी कर रखी है जहां से उसको स्थगन मिला हुआ है। और आगे कथन किया है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 को खातेदार घोषित किया जावें।

काउन्टर क्लेम का जवाबुल जवाब वादी द्वारा पेश करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नं0 60 रकबा 0.11 है0 वादी को विधिवत आवंटन हुई थी, नियमपूर्वक कब्जा दिया गया था। जिस पर वादी शांतीपूर्वक तरीके से काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। और जवाबउलजवाब पेश करके काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण खारिज करने की प्रार्थना की। वाद पत्र, जवाब दावा व काउन्टर क्लेम जवाबुल के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न तकनीयात कायम की गई–

01. आया वादपत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि वादी के कब्जे एवं खाते की भूमि है, जिस पर प्रतिवादीगण जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा है, वादी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी
02. आया खसरा नं0 60 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 59/431 रकबा 0.37 है0 वादी को आवंटित हुई थी, वादी को दखल दिया गया। जिसमे वादी काबिज है। वादी
03. आया वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित खसरा नं0 60 रकबा 0.11 है0 पर वादी का कब्जा ना होकर प्रतिवादी क्रम 1 का कब्जा है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी क्रम 1

वादी उदालाल की मृत्यु होने पर दिनांक 10.09.2015 को उसके विधिक वारिसान रिकॉर्ड पर लिये गयें। दिनांक 07.09.2018 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही किये।

वकील वादी ने मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 उदालाल, पीडब्ल्यू 2 नन्दकिशोर, पीडब्ल्यू 3 मदनलाल के बयान लेख बद्ध करवायें तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत 2061–64 ग्राम बालून्दा खातेदार उदालाल, प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत 2061–64 ग्राम बालून्दा प्रदर्श–3 राजस्व नक्शा ग्राम बालून्दा प्रदर्श–4 सीमा ज्ञान आराजी दिनांक 19.06.2007 प्रदर्श–5 से प्रदर्श–9 तक खसरा गिरदावरी खसरा नं0 60 व खसरा नं0 59/431 ग्राम बालून्दा।

अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी वकील वादी ने उन्ही तथ्यों को दोहराया है जो उन्होने अपने वाद पत्र में लिख रखा है। तथा बयानो का हवाला देते हुए दस्तावेजो के आधार पर वादी का वाद डिक्री करने की प्रार्थना की।

तनकी नं0 1 व 2 का निर्णय एक साथ दिया जा रहा है:–

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम सिर्फ आराजी खसरा नं0 60 रकबा 0.11 है0 के लिए ही है। इसे खसरा नं0 59/431 रकबा 0.37 है0 के लिए कोई काउण्टर क्लेम नही होने से इस आराजी के लिए वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में कोई कानूनी रूकावट नही है। आगे बहस में बताया कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी की घोषणा नही की जा सकती है। गवाह पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 2 व पीडब्ल्यू 3 ने आराजी खसरा नं0 60 रकबा 0.11 है0 पर वादी उदालाल का कब्जा माना है प्रदर्श– 1 व प्रदर्श–2 जमाबंदी से स्पष्ट है कि वादी को पहले गैरखातेदारी थी तथा दिनांक 10.08.2005 को वादी को खातेदारी दी गयी, वादी विवादित आराजी का खातेदार है, और खातेदारी के विरूद्ध एडवर्स पजेशन का सिद्धांत लागू नही होता है। प्रदर्श 6,7,8 व 9 जो कि खसरा गिरदावरी है तथा जिनमे काश्त वादी उदालाल की बताई गयी है, रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि खसरा नं0 60 व खसरा नं0 59/431 वाके ग्राम बालून्दा की आराजी का वादी एक मात्र तन्हा खातेदार है व काबिज काश्त हैं। प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही हुआ है जिसमें इन खसरा नम्बरान पर प्रतिवादी कम 1 का कब्जा माना जावें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 1 व तनकी नं0 2 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी कम 1 पर था, लेकिन प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही की है, और कोई दस्तावेज भी पेश नही किया गया है। जबकि खसरा नं0 60 रकबा 0.11 है0 आराजी का वादी रेकार्डेड खातेदार है जो कि जमाबंदी से स्पष्ट है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 3 वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नम्बर 1, 2 व 3 वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है, अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि:– खसरा नं0 60 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 59/431 रकबा 0.37 है0 आराजी वाके ग्राम बालून्दा तहसील मांगरोल की आराजी पर प्रतिवादीगण कम 1 ता 10 बलपूर्वक प्रवेश ना करें, वादी का शांतीपूर्वक तरीके से काश्त करने देवे, और वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।